पत्रांक–भवन–03 / स्था0–विविध–25 / 2019........7504 (भ) अनु......../

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

रमेन्द्र कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, सहरसा / दरभंगा / छपरा / भागलपुर / पूर्णियाँ / मुंगेर / आरा / दक्षिण बिहार अंचल, पटना।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, मधेपुरा / सहरसा / मधुबनी / छपरा / भागलपुर / पूर्णियाँ / लखीसराय / अररिया / सासाराम / केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना।

पटना, दिनांकः– 15/9/23

विषय :– **संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के पुनर्नियोजन / संविदा अवधि विस्तार पर विचार के निमित वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय का0आ0 संख्या–257–सह–पठित ज्ञापांक–7419(भ) दिनांक–13.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय कार्यालय आदेश से संविदा के आधार पर कुल पुनर्नियोजित 11 (ग्यारह) कनीय अभियंताओं, जिनकी संविदा अवधि दिनांक–04.09.2022 को समाप्त हो गयी है, के पुनर्नियोजन / संविदा अवधि विस्तार पर विचार किये जाने हेतु स्पष्ट अनुशंसा सहित उनके विरूद्ध आरोप की स्थिति / शिकायत की पूर्ण विवरणी, उनके कार्यकलाप आदि के संबंध में आप सभी से प्रतिवेदन की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कनीय अभियंताओं का प्रासंगिक का0आ0 से संविदा अवधि विस्तार के उपरांत उनके पदस्थापन कार्यालय से का0आ0सं0–157–सह–पठित ज्ञापांक–5284(भ) दिनांक–28.06.2023 द्वारा स्थानांतरित कर नये कार्यालय में पदस्थापित किया गया है (**छायाप्रति संलग्न**)।

अतएव प्रासंगिक कार्यालय आदेश (छायाप्रति संलग्न) में अंकित 11 (ग्यारह) कनीय अभियंताओं (संविदा आधारित) के पुनर्नियोजन हेतु उनके कार्यरत होने अथवा नहीं होने की स्थिति, कार्यकलाप एवं उनके विरूद्ध आरोप / शिकायत की पूर्ण विवरणी स्पष्ट अनुशंसा सहित पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि नियमानुसार इनके पुनर्नियोजन / संविदा अवधि विस्तार पर विचार किया जा सके।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

14/9/23

(रमेन्द्र कुमार)
सरकार के उप सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\Work 2023\Balaji Sir

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन-03/स्था0-विविध-25/2019.....257...../पटना, दिनांक.....13/10/22.....

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-12534 दिनांक-17.09.2018 की कंडिका-4(i) में वर्णित परिशिष्ट 'क' का कंडिका-1(क) एवं कंडिका-24(i) एवं 34 एवं संकल्प सं0-1003 दिनांक-22.01.2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-270-सह-पठित ज्ञापांक-7577(भ) दिनांक-23.12.2021 द्वारा संविदा पर पुनर्नियोजित एवं कार्यरत निम्नलिखित 11 (ग्यारह) कनीय अभियंता (असैनिक), जिनकी संविदा नियोजन अवधि दिनांक-04.09.2022 को समाप्त हो चुकी है, को सरकार द्वारा निरूपित शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन दिनांक-05.09.2022 से अगले एक वर्ष के लिए अथवा स्थायी/नियमित नियुक्ति होने तक अथवा सेवानिवृति के सामान्य आयु पुरी होने तक (जो भी पहले हो) के लिए पुनर्नियोजन (संविदा अवधि का विस्तार) किया जाता है:-

क्रम सं0	कनीय अभियंताका नाम	गृह जिला	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री गोविन्द कुमार शर्मा	बक्सर	भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद
2	श्री आनंद कुमार	सतस्तीपुर	भवन प्रमण्डल, छपरा
3	श्री अभिनाश कुमार सिंह	किशनगंज	भवन प्रमण्डल, कटिहार
4	श्री उत्तम कुमार	शेखपुरा	भवन प्रमण्डल, भागलपुर
5	श्री सीताराम प्रसाद	नालंदा	भवन प्रमण्डल, दरभंगा
6	श्री विपिन कुमार	बक्सर	भवन प्रमण्डल, गोपालगंज
7	श्री मृत्युंजय	जमुई	भवन प्रमण्डल, गया
8	श्री राहुल कुमार	मधेपुरा	वैशाली भवन प्रमण्डल, हाजीपुर
9	श्री ओम प्रकाश राम	गढ़वा	भवन प्रमण्डल, किशनगंज
10	मो0 जावेद अख्तर	मुजफ्फरपुर	भवन प्रमण्डल, समस्तीपुर
11	मो0 बजैर आलम	मुजफ्फरपुर	भवन प्रमण्डल, सहरसा

2. यह पुनर्नियोजन पूरी तरह से अस्थायी है एवं इस शर्त्त के साथ है कि भविष्य में इनका कार्यकलाप अच्छा हो एवं उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं है।
3. यह पुनर्नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध है एवं अधिकतम एक वर्षो के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए (जो भी पहले हो) है।
4. यह संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजन किये गये कनीय अभियंता को सरकारी सेवक नही माना जायेगा और न ही सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी प्रकार की सुविधा के हकदार होंगे। साथ ही संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण यह सेवानिवृति की सामान्य आयु पुरी होने पर संविदा अवधि के पूर्व, अथवा नियमित नियुक्ति होने के पूर्व भी संविदा नियोजन समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पुनर्नियोजन की अन्य शर्त्ते नियोजन के समय निर्गत नियुक्ति पत्र, एकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र (जहाँ लागू हो) में अंकित यथावत् रहेगी।

क्र0पृ0उ0......

8. सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या-1003 दिनांक-22.01.2021 में प्रतिपादित सभी शर्त्तें/नियम इस आदेश में प्रभावी माने जाएंगे।
9. आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से उपर्युक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) से एकरारनामा सम्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही संबंधित पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा सम्पादित कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
10. नियोजित कनीय अभियंताओं के पारिश्रमिक का भुगतान पूर्व निर्धारित दर से उनके पदस्थापित कार्यालय द्वारा विस्तारित अवधि दिनांक-05.09.2022 से नियमानुसार देय होगी।
11. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1003 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में संबंधित कनीय अभियंतओं से एकरारनामा कराने के पश्चात् ही उनका मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 7419 (अ) पटना, दिनांक- 13/10/22

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक) (संविदा)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/10/22
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\Work 2022\Heera Jha
pg. 58

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भवन–03 / स्था0–विविध–28 / 2023........157........पटना, दिनांक........28/6/23

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग, पटना के अधीन विभिन्न अंचलों / प्रमंडलों में कार्यरत निम्नांकित असैनिक कनीय अभियंताओं (संविदा) को वर्त्तमान पदस्थापित स्थान स्तंभ–4 से स्थानांतरित करते हुए स्तंभ–5 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	कनीय अभियंता का नाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5
1.	श्री गोविन्द कुमार शर्मा (संविदा)	बक्सर	प्रशाखा–01 भवन अवर प्रमण्डल सं0–02 भवन प्रमंडल औरंगाबाद	भवन प्रमण्डल, मधेपुरा
2.	श्री मृत्युंजय (संविदा)	जमुई	केन्द्रीय कारा प्रशाखा, गया भवन अवर प्रमण्डल सं0–2 भवन प्रमंडल गया	प्रशाखा–02 भवन अवर प्रमण्डल सं0–01 भवन प्रमंडल सहरसा
3.	श्री उत्तम कुमार (संविदा)	शेखपुरा	प्रशाखा–02 भवन अवर प्रमण्डल सं0–01 भवन प्रमंडल भागलपुर	सिचाई भवन प्रशाखा, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना
4.	श्री आनंद कुमार (संविदा)	समस्तीपुर	भवन प्रमंडल छपरा	भवन प्रमण्डल, मधुबनी
5.	श्री विपिन कुमार (संविदा)	बक्सर	प्रशाखा–03 भवन अवर प्रमण्डल भवन प्रमंडल, गोपालगंज	भवन प्रमंडल, छपरा
6.	मो0 बजैर आलम (संविदा)	मुजफ्फरपुर	प्रशाखा–02 भवन अवर प्रमण्डल सं0–01 भवन प्रमंडल सहरसा	प्रशाखा–02 भवन अवर प्रमण्डल सं0–01 भवन प्रमंडल भागलपुर
7.	श्री नारद राम (संविदा)	पूर्वी चम्पारण	प्रशाखा–01 भवन अवर प्रमण्डल भवन प्रमंडल, अररिया	भवन प्रमण्डल, कैमूर
8.	श्री अभिनाश कुमार सिंह (संविदा)	किशनगंज	प्रशाखा–02 भवन अवर प्रमण्डल सं0–02 भवन प्रमंडल कटिहार	भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ
9.	श्री ओम प्रकाश राम (संविदा)	गढ़वा	प्रशाखा–02 भवन अवर प्रमण्डल भवन प्रमंडल किशनगंज	भवन प्रमण्डल, लखीसराय
10.	श्री सीताराम प्रसाद (संविदा)	नालंदा	प्रशाखा–02 भवन अवर प्रमण्डल सं0–02 संरचना भवन प्रमंडल, दरभंगा	प्रशाखा–01 भवन अवर प्रमण्डल भवन प्रमंडल, अररिया
11.	मो० जावेद अख्तर (संविदा)	मुजफ्फरपुर	प्रशाखा–01 भवन अवर प्रमण्डल सं0–1 भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	भवन प्रमण्डल, मधुबनी
12.	श्री राहुल कुमार (संविदा)	मधेपुरा	प्रशाखा–03 भवन अवर प्रमण्डल सं0–02 वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर	भवन प्रमण्डल, सासाराम
13.	आकांक्षा कुमारी, कनीय अभियंता, (संविदा)	सुपौल	वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर प्रतिनियुक्त भू–सम्पदा कोषांग, भ0नि0वि, पटना	भवन अंचल, भागलपुर
14.	नूतन कुमारी, कनीय अभियंता (संविदा)	भागलपुर	भवन प्रमंडल, किशनगंज	भवन अंचल, मुंगेर

15.	उपेन्द्र कुमार दीक्षित, कनीय अभियंता (संविदा)	औरंगाबाद	भवन प्रमंडल, सासाराम	केन्द्रीय कारा प्रशाखा, गया भवन अवर प्रमण्डल सं0–2 भवन प्रमंडल गया

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. पूर्व से निर्गत सभी स्थानांतरण संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
4. क्रमांक–13 से 15 पर अंकित कनीय अभियंताओं का स्थानांतरण उनसे प्राप्त अभ्यावेदन पर कार्यहित में किया गया है।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता सभी स्थानांतरित असैनिक कनीय अभियंताओं (संविदा) को आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर विरमित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उक्त के उपरांत वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे।
6. सभी स्थानांतरित कनीय अभियंताओं (असैनिक) का माह–जुलाई–2023 का वेतन का भुगतान नव पदस्थापित स्थान/कार्यालय से किया जायेगा।
7. सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सभी स्थानांतरित कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

28/6/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक– भवन–03/स्था0–विविध–28/2023 – 5284 (गो) पटना, दिनांकः– 28/6/23

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/06/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक– भवन–03/स्था0–विविध–28/2023 – 5284 (गो) पटना, दिनांकः– 28/6/23

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद्/निदेशक, अनुश्रवण/अवर सचिव/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित कनीय अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

28/06/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक– भवन–03/स्था0–विविध–28/2023 – 5284 (गो) पटना, दिनांकः– 28/6/23

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/06/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।